(54)

आयोजनागत

संख्याः– /I(2)/2012-04-03/2012

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लिमिटेड,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनाकः 06 नवम्बर, 2012

विषयः– **यूजेवीएन लि0 की नाबार्ड से वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्र संख्या 809/प्रनि/यूजेवीएन लि0/ए–17 दिनांक 27.06.2012 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2012–13 में नाबार्ड की योजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूंजी के रुप में ₹ 14.19 करोड (₹ चौदह करोड़ उन्नीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि करोड में)

क0स0	परियोजना का नाम	राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में मांगी गई धनराशि
1	**अस्सी गंगा–1**	3.62
2	**मौहम्मदपुर**	10.57
कुल योग		14.19

(₹ चौदह करोड़ उन्नीस लाख मात्र)

1– स्वीकृत धनराशि को आहरित करने हेतु बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।

2– स्वीकृत धनराशि के आगणनों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ न किया जाय अथवा नियमानुसार पूर्व से अनुमोदित एवं चालू कार्यो पर ही व्यय किया जाय। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

3– धनराशि का उपयोग नाबार्ड के गाईड लाईन्स तथा ऋण स्वीकृति के साथ निर्गत प्रतिबन्धों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा नाबार्ड के पत्र संख्या राबै.उत्तराखण्ड/4979/एफडी(एलओएसी)–15/2011–12, दिनांक 04.01.2012 के प्रतिबन्धों/शर्तो का भी अनुपालन किया जायेगा।

4– नाबार्ड के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 04.01.2012 के प्राविधानानुसार उक्त स्वीकृत ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर करना होगा।

5– ऋण पर देय ब्याज एवं मूलधन की अदायगी संगत लेखा शीर्षक में राज्य सरकार के खाते में ससमय सुनिश्चित की जायेगी ।

6– यूजेवीएन लिमिटेड व्यय की गई धनराशि कके सापेक्ष प्रतिपूर्ति दावा तत्काल प्रस्तुत करेंगे एवं नावार्ड से प्रतिपूर्ति कराने की व्यवस्था करायेगें।।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2

8– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मासिक आधार पर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और धनराशि का व्यय करने में नाबार्ड के दिशा निर्देशों तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात् परियोजनाओं का वी.सी.आर. प्रस्तुत करते हुये धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति दावे का प्रस्ताव तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9– व्यय करते समय बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका, के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययता के विषय में समय–समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है और निर्धारित समय में इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड को एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11– अस्सी गंगा –1 परियोजना में विगत समय हुई अतिवृद्वि/दैवीय आपदा से हुई क्षति के दृष्टिगत व्यय करने तथा भुगतान करने से पूर्व इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर सुविचारित निर्णय ले लिया जाय।

12– इस परियेाजना हेतु इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज–01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश–04–नावार्ड से जल विद्युत निगम को ऋण–30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 236 /XXVII(2)/2012, दिनांक 06 नवम्बर, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्याः–1731 /I(2)/2012-04-03/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, ओबराय बिलिडिंग सहरानपुर रोड देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट) इन्द्रा नगर देहरादून ।
3– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सचिव–मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–1/2 उत्तराखण्ड शासन।
10– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– प्रभारी, ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव